न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 18/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट,1956

रावतसिंह वगैरा बनाम कृष्ण वगैरा

पीठासीन अधिकारी–बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण वकील–श्री श्रीराम विश्नोई

विप्रार्थी संख्या 01 से 06 के वकील– श्री मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांक– 11/11/25

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक व कब्जा काश्त का खेत **तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र भंवार के भू.अ.नि. क्षेत्र सेडवा के मौजा फकीरों का निवान के खेत खाता संख्या नया 117 के खसरा संख्या 261/15 रकबा 8–0937 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम** स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ौसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडौस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पैमाइश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया, इसलिए उनका जवाब बंद किया गया। शेष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा–जमाबंदी संवत् 2074–77, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली र उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकनोपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अस्तु, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थानभू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र भंवार के भू.अ.नि. क्षेत्र सेडवा के मौजा फकीरों का निवान के खेत खाता संख्या नया 117 के खसरा संख्या 261/15 रकबा 8–0937 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि विचारित प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह हल्का पटवारी के साथ उभय पक्षों के रूबरू विवादित भूमि के मौके व कब्जे काश्त में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व नियमानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मौक पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो। पत्राव[illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:28:50 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा